भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4730
जिसका उत्तर 31 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र में सुधार

4730. श्री अशोक महादेवराव नेते:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए कितनी निधि आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर एवं प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं के लिए विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता में सुधार करने के उद्देश्य से सुधार-आधारित एवं परिणाम-संबद्ध, संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम शुरू की है। इस स्कीम का कुल परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये और केंद्रीय सरकार से प्राक्कलित जीबीएस 97,631 करोड़ रुपये है। इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता को परस्पर सहमत कार्रवाई योजनाओं के अनुसार शुरू किए गए सुधार उपायों और उनसे प्राप्त परिणामों से जोड़ा गया है।

भारत सरकार ने लिक्विडिटी निषेचन स्कीम (एलआईएस); विद्युत क्षेत्र के सुधारों से संबद्ध राज्यों के लिए जीएसडीपी के 0.5% की अतिरिक्त उधारी; यूटीलिटियों के निष्पादन के आधार पर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड द्वारा ऋण देने के लिए अतिरिक्त विवेकसम्मत मानदंडों को समाविष्ट करने सहित सुधार उपायों से संबद्ध डिस्कॉमों की वित्तीय और प्रचालनात्मक दक्षताओं में सुधार करने के लिए अनेक हस्तक्षेप किए हैं।

****